प्रेषक   क्रमांक 7102-3 एस-75/27446।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल,
हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी।

दिनांक चण्डीगढ़ 8 सितम्बर, 1975

विषय :—जिला के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।

महोदय

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1430-3 एस-71/5968 दिनांक 30-3-1971 की ओर दिलाऊं और बताऊं कि सरकार के देखने में आया है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियन्ताओं, जिनका कार्य क्षेत्र Revenue district से co-terminus नहीं है और आम तौर पर एक से अधिक ज़िलों में होता है, की गोपनीय रिपोर्ट पर केवल उसी जिले के उपायुक्त से (निर्धारित तीन पहलुओं पर) रिमार्कस रिकार्ड करवाये जाते हैं, जिस जिला में उस कार्यकारी अभियन्ता का मुख्यालय (Headquarter) हो। यह प्रथा ठीक नहीं है। अतः इन हिदायतों को और स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कार्यकारी अभियन्ताओं या अन्य अधिकारियों (जिन की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर उपायुक्त अपने रिमार्कस लिखने के लिए सक्षम है) का कार्य क्षेत्र एक से अधिक जिलों में हो तो ऐसे सभी अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट पर निर्धारित तीन बिन्दुओं पर उन सभी उपायुक्तों द्वारा रिमार्कस लिखे जाने चाहिएं जिन जिन जिलों में उन अधिकारियों का कार्य क्षेत्र हो। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियरों की गोपनीय रिपोर्ट लिखवाने के लिए प्रोसीजर यह होगा कि अधीक्षक इंजीनियर द्वारा ऐसे कार्यकारी इंजीनियर की रिपोर्ट initiate की जानी चाहिए और उस के बाद वह रिपोर्ट सभी संबंधित उपायुक्तों (जिस जिस जिला में कार्यकारी इंजीनियर का कार्य क्षेत्र पड़ता हो) में से कनिष्ट उपायुक्त से रिमार्कस पहले रिकार्ड करवाये जाएं और उस के बाद वह रिपोर्ट उन से वरिष्ठ उपायुक्त को तथा अन्त में वरिष्ठतम उपायुक्त को रिमार्कस रिकार्ड करने हेतु भेजी जाए अर्थात कार्यकारी इंजीनियर की रिपोर्ट सम्बन्धित उपायुक्तों में से juniormost उपायुक्त से Seniormost उपायुक्त को बारी बारी अपने रिमार्कस रिकार्ड करने के लिए भेजी जायेगी। Seniormost उपायुक्त द्वारा यह रिपोर्ट विभाग की अगली एथोरेटी अर्थात मुख्य इंजीनियर को भेज दी जाए। लोक निर्माण विभाग (बी० एण्ड आर०, जन स्वास्थ्य तथा सिचाई) कृपया कार्यकारी इंजीनियर के गोपनीय रिपोर्ट फार्म में उपरोक्त अनुसार उपायुक्तों से रिमार्कस रिकार्ड करवाने बारे आवश्यक Provision कर लें तथा उस फार्म में यह भी निर्दिष्ट किया जाए कि Seniormost उपायुक्त द्वारा रिमार्कस लिखे जाने के बाद वह रिपोर्ट अगली किस एथोरिटी को भेजी जाए। यह निर्णय वर्ष 1974-75 की रिपोर्ट्स से लागू होगा। 1974-75 की जो रिपोर्ट केवल मुख्यालय के उपायुक्त द्वारा ही लिखी गई हैं—उन केसों में अब अन्य उपायुक्तों को जिन से यह रिपोर्ट लिखवानी रह गई हों Separate A.C.R. proforma भेजकर उक्त policy के मुताबिक रिपोर्ट्स मुकम्मल करवा ली जाएं।

भवदीय,
हस्ताक्षर
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

(1) वित्तायुक्त हरियाणा
(2) हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव।

हस्ताक्षर
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

वित्तायुक्त हरियाणा।
...णा के सभी प्रशासकीय सचिव।
...75,
दिनांक चण्डीगढ़ 8 सितम्बर, 1975.